जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ, जिला दक्षिण पष्चिम, दिल्ली
निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

1. जवाहर नवोदय विद्यालय **जाफरपुर कलाँ** की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 24-06-2017** **सांयः 4.00** तक छात्र–छात्राओं की आवष्यकतओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति हेतु **सत्र 2017–18** के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा के लिफाफे पर, जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर **'फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा' 2017–18** स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।
3. निविदाएं जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ कार्यालय में दिनांक **24.06.2017** को सायः **4.00** बजे तक जमा कराई जा सकती है।
4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्तो, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को प्रपत्र की शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे।
5. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों, जैसे वेट कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों सहित एफ0ओ0आर0 जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ होनी चाहिए।
6. निविदा फार्म साफ–सुथरे ढंग से भरा होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट–छांट यथासंभव नहीं करें। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संषोधन करना अति–आवष्यक है तो उसे साफ–साफ तरीके से करते हुए परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। परन्तु किसी भी दषा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं की जोयेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं।
8. निविदा में स्वीकृत दरें **30.04.2018** तक के लिए तथा **एम.एण्ड आर. एंव यूनिफॉर्म से संबंधित निविदायें जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक मान्य होंगी।** जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध हो जाता है जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तो के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा।
9. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि रू0___________ नकद या बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ के पक्ष में देय होगा। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें धरोहर राषि **निविदा स्वीकृत होने की तारीख** से 10 दिन के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राषि के भुगतान में छुट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत संबंधित फर्म धरोहर राषि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती है।
10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में सलंग्न करें।
11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हें कुल अनुमानित क्रय राषि के 10 प्रतिषत के बराबर सुरक्षा राषि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राषि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राषि समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राषि उन्हें निष्चित अवधि **10 दिन** के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राषि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राषि **यदि आवश्यक हो तो** अनुबन्ध समाप्ति की तिथि से कुल छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी। यदि निविदा अनुबन्ध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राषि से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जाएगी।

13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है का आदेष देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को सामग्री की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदा दाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर लें या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूर करवा लें। इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राषि की कटौती निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता की सुरक्षित जमा राषि से की जाएगी। यदि इस संबंध में अधिक भुगतान राषि निविदादाता की जमा सुरक्षित राषि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा।
14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफट सामान या स्कीम दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।
15. यदि निविदादाता आपूर्ति आदेष में दी गई मात्रा को आंशिक रूप से आपूर्ति करता है तो आपूर्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी एवं आपूर्ति आदेश को निरस्त कर फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। निविदा में दर्षायी गई मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्त्ता/प्राचार्य द्वारा आवष्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढाया जा सकता है।
16. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है उसे निविदादाता निविदा के साथ लायेंगे। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मषीन या फर्नीचर है तो उस दषा में निविदादाता अपनी फर्म में ले जाकर उसका नमूना प्रस्तुत करेगा और मषीन को संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निषुल्क प्रषिक्षण भी देगा।
17. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वार या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेष के अनुसार/विनिर्देषन के अनुसार/पारित सैम्पल के अनुसार नहीं पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वंय के खर्चे पर आपूर्ति की गयी साम्रगी को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा।
18. निविदा उन्हीं फर्मो की स्वीकार की जाएगी जो उस विषि"ट सामग्री का उत्पादक/अधिकृत आपूर्तिकर्ता हो तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करनी है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्षाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत है।
19. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा साधारण दषा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकमसान, टूट–फूट, लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी होंगे और उस हानि की भरपायी उन्हीं के द्वारा की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
20. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफट, आर.टी.जी.एस. एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
21. विवादस्पद आईटमों के मामले में भुगतान की राषि रोकी जा सकती है, जब तक कि आइर्टमों की आपूर्ति आपूर्ति आदेश एंव सैम्पल के अनुसार नही की जाती।
22. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विषिष्ट विवरण, मात्रा एवं आपूर्ति की शर्ते आदि जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। इन्हे प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पहले देख सकता है या प्राप्त कर सकता है। यदि उसे इन शर्तो या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करें तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

23. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा।

24. इन सामान्य शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विषि"ट सामग्री अनुसार शर्तो का विवरण इस निविदा फार्म के साथ सलंग्न है।

25. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। निविदा पूर्ण होने के एक वर्ष के पष्चात् ही सैम्पल वापिस किया जायेगा।

26. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र दक्षिण पष्चिम, दिल्ली होगा।

27. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर एवं टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि।

ब. निर्धारित धरोहर राषि।

स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।

द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।

य. जहां लागू हों, टिन/बिक्री कर रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र की प्रति।

र. फर्म बैंक खाते का नम्बर व आर.टी.जी.एस. नम्बर।

प्राचार्या

दिनांक ________________

जवाहर नवोदय विद्यालय
जिला दक्षिण पश्चिम,
दिल्ली

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त सं0 01 से 27 तक समस्त शर्ते हमें मान्य है।

fufonknkrk ds gLrk{kj

rFkk QeZ dh lhy

fufonknkrk dk iqjk irk

____

____

eksckby ua0

____